सं-5/2017-164/चौदह-4-2017-122/2015

प्रेषक,

मो0 जुनीद
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
एवं विभागाध्यक्ष,
उ0प्र0, लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-4 लखनऊ, दिनांक, 07 फरवरी, 2017

विषय- वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान सं0-60-आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत रू0 100.00 लाख की स्वीकृति पुनर्विनियोग के माध्यम से जारी किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-ब-122/21-5 (1)/2016-17 दिनांक 20.01.2017 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वष्र 2016-17 के लिए अनुदान संख्या-60 के आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2406-01-001-04-03-मंहगाई भत्ता में हो रही बचतों में से ''2235-60-200-04-हिंसक वन पशुओं द्वारा मारे/घायल किये गये व्यक्तियों एवं मवेशियों के मालिकों को मुआवजे का भुगतान-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन) के अन्तर्गत रू0 100.00 लाख की व्यवस्था पुनर्विनियोजन आदेश संख्या-164ए/14-4-2017-122/2015 दिनांक 07.02.2017 (प्रति संलग्न) द्वारा पुनर्विनियोजित धनराशि रू0 100.00 लाख (रू0 एक करोड़ मात्र) जो निम्न लेखाशीर्षकों के सम्मुख अंकित है, को पुनर्विनियोजन के पश्चात् व्यय हेतु निम्न शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

लेखाशीर्षक	धनराशि (रू0 में)
अनुदान सं0-60	
राजस्व लेखा-	
2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	
60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम	
200-अन्य कार्यक्रम	
04- हिंसक वन पशुओं द्वारा मारे/घायल किये गये व्यक्तियों एवं मवेशियों के मालिकों को मुआवजे का भुगतान	
20- सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)	**10000000**
योग-	**10000000**

(रू0 एक करोड़ मात्र)

1— उक्त धनराशियों का आवंटन स्वंय में व्यय का अधिकार नहीं देता, अत: जिस व्यय के सम्बन्ध में वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमावलियों में अथवा शासन के वर्तमान आदेशों के अनुसार शासन के अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/सहमति लिया जाना अपेक्षित हो, उसे व्यय

http://shasanadesh.up.nic.in

करने से पूर्व अनिवार्यत: प्राप्त किया जाये। वस्तुओं का क्रय स्टोर परचेज एवं वित्तीय नियमों के अधीन किया जाय। योजनान्तर्गत वाहनों के क्रय के पूर्व शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0-सी0ए0-1132/दस-2004-मित-1/2004, दिनांक 07-01-2005 तथा शासनादेश सं0-सी0ए0-1191/दस-2009-मित-1/2007,दिनांक 26-10-2009 एवं इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किय जाय।

2- इस धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्वीकृत तथा चालू योजनाओं पर ही किया जाय और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग नयी मदों के क्रियान्यवन के लिए नहीं किया जाय।

3- किसी योजना में व्यय अनुमोदित परिव्यय से अधिक न हो। इस सम्बन्ध में शासन के तत्सम्बन्धी निर्देशों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का प्रत्येक स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके अतिरिक्त जिन योजनाओं में व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है, उन पर व्यय करने से पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय तथा जिन योजनाओं पर व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त है उन पर समिति के अनुमोदित लागत एवं समय सीमा के अनुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

4- शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अत: स्वीकृत धनराशि को व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सी.ए.-1191/दस-2009-मित-एक/2007 दिनांक 26 अक्टूबर, 2009 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

5- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रश्नगत मद में नियमानुसार व्यय तथा बचत की धनराशि सुनिश्चित करेंगे।

6- जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मॉग तथा नहीं की जा सकेगी तथा उसका सद्पयोग वित्तीय वर्ष 2016-17 में ही किया जा सकेगा।

7- व्यय को निर्धारित मानको के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक समय-सारणी निश्चित कर दी जाय तथा प्रत्येक माह की समाप्ति पर व्यय की प्रगति का प्रभावी अनुश्रवण किया जाय।

8- अनुदान के अन्तर्गत होने वाले संभावित व्यय की फेजिंग मासिक आधार पर अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध करायी जाय और स्वीकृतियॉ/आवंटन के सापेक्ष उससे अधिक धनराशि का आहरण कोषागार से नहीं किया जायेगा।

9- स्वीकृत धनराशि का व्यय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष उ0प्र0, लखनऊ के उक्त पत्र दिनांक 20.01.2017 में उल्लिखित कार्यमदों के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-7-66/दस-2017 दिनांक 07.02.2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मो जुनीद)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-सं0-164(1)/14-4-2017-122/2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (द्वितीय) उ0प्र0 केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0, लखनऊ।
4- मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, उ0प्र0, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
7- वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग/नियोजन अनुभाग-3/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मो जुनीद)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in